न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2016

1. भागीरथ पुत्र श्री पोखरराम जाति कुम्हार निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. वेद प्रकाश भागीरथ जाति कुम्हार निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुड्डी पुत्री भागीरथ पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी महाजनियां केरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गोमती पुत्री भागीरथ जाति कुम्हार निवासी 1 पी ढाणी (रोहिड़ांवाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ओम प्रकाश पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 27.05.2016

उपस्थितिः—

श्री सुनाष मिढ़ा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

श्री भजन सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 09.07.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादिया ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 चक 5 बाई के मुरब्बा नम्बर 41, 42 की 3.163 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 25, 54 की 1.720 हैक्टेयर कुल 4.863 हैक्टेयर भूमि किसी प्रकार से रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल न करें।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.05.2016 को उक्त 4.863 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्से को मूल वाद तक रहन, बैय नहीं करने के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को किसी भी प्रकार से पोथर राम से बतौर विशस्त चक 5 बाई की भूमि प्राप्त नहीं हुई, बल्कि अपीलांट के पास मुरब्बा नम्बर 41 की 10 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.02.1968 को खरीद की हुई है, जो अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है, पैतृक नहीं है। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 25 व 54 की 1.720 हैक्टेयर भूमि स्वअर्जित है। रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

ने आर एल डब्ल्यू 2016(3) पेज 1907, आर आर टी 2017(2) पेज 907 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिनायक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा बनता है जिसका निर्धारण वाद के निर्णय में होगा। यदि वाद के निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण ने भूमि का बेचान कर दिया तो रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

रेस्पोंडेन्ट का मुख्य तर्क यह है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा बनता है, जबकि अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है। विवादित भूमि पैतृक है या नहीं इसका निर्धारण तो मूल वाद में दोनों पक्षों को साक्ष्य आने के पश्चात् सुनकर ही किया जाना है, किन्तु वाद के निर्णय से पूर्व यदि भूमि का हस्तान्तरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए विवादित भूमि में से 1/6 हिस्से तक के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें हमारे विचार से कोई त्रुटि न होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्री गंगानगर (राज.)